रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930

No. 119] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 137(अ).— केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53 छ की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड ([illegible]) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

   (ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 53 घ की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

   (ग) "समिति" से अधिनियम की 53 घ की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है ;

   (घ) " सदस्य" से अधिनियम की धारा 53 घ की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

   (2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. **अध्यक्ष के वेतन, भत्ते, आदि**-- (क) जब उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब वह मासिक वेतन, और ऐसे भत्ते तथा अन्य फायदों का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं।

(ख) जब उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तब वह मासिक वेतन और ऐसे भत्ते तथा अन्य फायदों का हकदार होगा अपील अधिकरण के मुख्यालय के उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं:

परंतु उस दशा में जब उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पेंशन, उपदान, नियोजक का अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान या सेवानिवृत्ति फायदे के किसी अन्य रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है तब ऐसे अध्यक्ष के वेतन में से पेंशन या नियोजक की अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदे की सकल रकम यदि कोई हो (सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन के सिवाय) को घटा दिया जाएगा, जो उसने आहरणित की है या उसके द्वारा आहरणित की जानी है।

4.**अध्यक्ष की अन्य सेवा शर्तें**- उस दशा में जहां सेवारत न्यायाधीश अपील अधिकरण में नियुक्त किया जाता है वहां अध्यक्ष की सेवा की शर्तें, जिसके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है वहां यथास्थिति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41), उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 और अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28), उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम 1956 और अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा शासित होंगे ।

5. **सदस्य का वेतन-(1)** उपनियम (2)के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास अस्सी हजार रुपए (नियत) वेतन का संदाय किया जाएगा:

परंतु उस दशा में जब यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है, जो पेंशन, उपदान, नियोजक का अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान या सेवानिवृत्ति फायदे के किसी अन्य रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है तब ऐसे सदस्य के वेतन में से पेंशन या नियोजक की अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदे की सकल रकम यदि कोई हो (सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन के सिवाय) को घटा दिया जाएगा, जो उसने आहरणित की है या उसके द्वारा आहरणित की जानी है।

6. **महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते** - (1) अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है वह उस दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा जो यथास्थिति

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को समय-समय पर संबद्ध न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय है ।

(2) सदस्य महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते ऐसी दरों पर प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे समूह 'क' के अधिकारियों को समतुल्य वेतन ले रहे हैं, अनुज्ञेय हैं ।

7. **छुट्टी**- (1) अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की अनुदत्त छुट्टी निम्नानुसार शासित होंगी:-

(i) **अध्यक्ष** : कोई उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों के संबंधित विषयों में यथास्थिति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) और अधिनियम, 1958 (1958 का 41), या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उनके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे:

परंतु जहां उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् अध्यक्ष बना रहता है, वहां वह छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों से संबंधित विषयों में यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति की तारीख से अपनी पदावधि की शेष अवधि के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी)नियम, 1972 द्वारा शासित होंगे । ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों सें संबंधित विषयों में केन्द्रीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा ।

(ii) **सदस्य** : सदस्य छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों सें संबंधित विषयों में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी), नियम 1972 द्वारा शासित होगा ।

(2) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और सदस्यों को छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्य अपने खाते में जमा अर्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी नकदीकरण के लिए हकदार, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि अधिकतम छुट्टी नकदीकरण जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्ति भी है तीन सौ दिन कि विहित दशा में अधिक नहीं होगा।

8. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी**- अध्यक्ष की दशा में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का मंत्री और सदस्य की दशा में अध्यक्ष छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा ।

9. **पेंशन** - अध्यक्ष और सदस्य को यह विकल्प होगा कि वह या तो नई पेंशन स्कीम या वार्षिकीकरण या अपनी कुल रकम वापसी धन अनुवृद्धि द्वारा शासित हो ।

10. **यात्रा भत्ता**- जब सेवारत न्यायाधीश अपील अधिकरण में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जब वह दौरे पर या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत अपील अधिकरण में कार्य ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या अपील अधिकरण में अपनी पदावधि के अवसान पर अपने स्वनगर को प्रस्थान करने के लिए की गई यात्रा भी है) पर हो तो यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, व्यक्तिगत सामान का परिवहन और अन्य वैसे ही विषयों में ऐसे ही मापमान और ऐसी ही दरों पर, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को समय-समय पर संबद्ध न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हकदार होंगे । अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जब वह दौरे पर या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत अपील अधिकरण में कार्य ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या अपील अधिकरण में अपनी पदावधि के अवसान पर अपने स्वनगर को प्रस्थान करने के लिए यात्रा भी है) पर हों तो वह समतुल्य वेतन आहरित कर रहे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारियों को यथा लागू उसी मापमान और उसी दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, व्यक्तिगत प्रभावी परिवहन और अन्य उन्हीं मामलों के लिए हकदार होंगे ।

11. **छुट्टी यात्रा रियायत**- अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य स्वयं और कुटुंब के लिए पुनर्नियोजित पेंशनरों को यथारूप से अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे और हकदारी केन्द्रीय सरकार में उच्चतम श्रेणी में होगी ।

12. **चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधा**- अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य जब वे सेवा में हों अंशदायी स्वास्थ्य सेवा नियम, 1954 में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और चिकित्सालय सेवाओं के हकदार होंगे और उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम लागू नहीं है वहां उक्त अध्यक्ष और सदस्य उन सुविधाओं के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में उपबंधित हैं ।

13. **परिवहन**- अध्यक्ष ऐसी प्रवहण सुविधाओं के हकदार होंगे जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायाधीश को अनुज्ञेय हों। कोई सदस्य अपने निवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए अपने वैयक्तिक कार के उपयोग और अनुरक्षण के लिए समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा अधिकथित नियत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे ।

14. **आवास** - अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य यदि वे दिल्ली में निवास करते हैं तो अपने मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर पर मकान किराए भत्ते के हकदार होंगे । अपील प्राधिकारी द्वारा कोई मकान भाड़े पर नहीं लिया जाएगा या केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित नहीं किया जाएगा । दिल्ली से बाहर, अध्यक्ष और सदस्य समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा अधिकथित किराए पर असुसज्जित आवास के हकदार होंगे ।

15. **शासकीय विदेशी यात्रा**- (1) अध्यक्ष द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के पूर्व अनुमोदन से और सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन विदेश मंत्रालय से राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्बंधित और गृह मंत्रालय से विदेशी आतिथ्य, यदि कोई हो, को स्वीकार करने के लिए मंजूरी करने के पश्चात् शासकीय विदेशी यात्राएं की जाएंगी ।

(2) अध्यक्ष की दशा में विदेशी यात्रा की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल आवास का उपबंध अपील अधिकरण में कार्य ग्रहण करने से पूर्व उसकी हकदारी के अनुसार विनियमित किए जाएंगे और सदस्यों की दशा में केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन पाने वाले समूह 'क' अधिकारियों को यथा लागू अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

(3) विदेश में भारतीय मिशन अध्यक्ष और सदस्य की व्यवस्थाओं की देखभाल करेगा और उनको अनुज्ञेय सुविधाएं प्रदान करेगा ।

(4) समय-समय पर यथा संशोधित विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश लागू होंगे और जब विदेश यात्रा पर हों अनुसरित किए जाएंगे ।

16. **नियमों का लागू होना**- जब उच्चतम न्यायालय का सेवा रत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप मं नियुक्त किया जाता है तब उसके सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो उसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पूर्व उसको लागू थीं :

परंतु अध्यक्ष के रूप में उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व न्यायाधीश के रूप में अध्यक्ष की अधिवर्षिता की दशा में इन नियमों के अधीन उसकी पदावधि की शेष अवधि के लिए उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगे जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को लागू हैं ।

17. **पद और गोपनीयता की शपथ** --(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व कारपोरेट कार्य मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के समक्ष इन नियमों से उपाबद्ध क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अध्यक्ष के समक्ष इन नियमों से उपाबद्ध क्रमश प्ररूप 1 अर प्ररूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे ।

18. **वित्तीय या अन्य हितों की घोषणा**-- प्रत्येक व्यक्ति यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति होने पर इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 3 में केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में एक घोषणा करेगा कि उसका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे यथास्थिति उसके अध्यक्ष या सदस्यों के कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो ।

19. **अवशिष्ट उपबंध** - अध्यक्ष या सदस्य के सेवा के निबंधनों और सेवा शर्तों से संबंधित वे विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है अपील अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

20. **शिथिल करने की शक्ति** - केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

[फा. सं. 5/36/2007-आईजीसी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

प्ररूप I

(नियम 17 देखें)

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के पद की शपथ का प्ररूप

"मैं , , प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का अपने सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक से श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करूँगा ।"

(हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

स्थान :

तारीख :

प्ररूप II
(नियम 17 देखें)

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

"मैं, , प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय उक्त अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करुंगा । "

(हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

स्थान :

तारीख :

प्ररूप III
(नियम 18 देखें)

किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरुद्ध घोषणा

"मैं, , प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त होने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता हूँ या भविष्य में नहीं रखूंगा जिससे प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना न है।"

(हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

स्थान :

तारीख :

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

G.S.R. 137(E).— In exercise of the powers conferred by clause (mc) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (1) of section 53G, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and other Members) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) 'Act' means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) 'Chairperson' means the Chairperson of the Appellate Tribunal appointed under sub-section (1) of section 53D of the Act;

(c) 'Committee' means the Selection Committee constituted under Sub-section (1) of section 53E of the Act.

(d) 'Member' means the Member of the Appellate Tribunal appointed under sub-section (2) of section 53D of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Salary, allowances, etc. of the Chairperson. – (a) When a serving or a ired Judge of the Supreme Court, is appointed as Chairperson, he shall be entitled to nonthly salary, and to such allowances and other benefits, as are admissible to a ving Judge of the Supreme Court.

(b) When a serving or a retired Chief Justice of a High Court, is appointed as airperson, shall be entitled to a monthly salary and to such allowances and other iefits as are admissible to a serving Chief Justice of the High Court of the idquarter station of the Appellate Tribunal.

Provided that in case the retired Judge of the Supreme Court or the retired Chief tice of a High Court, is in receipt of, or has received or has become entitled to eive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such irperson shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution he Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any cept pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him.

Other conditions of service of Chairperson. – In case of serving Judge ointed to the Appellate Tribunal, the conditions of service of Chairperson for which provision is made in these rules shall be governed by the Supreme Court Judges nditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), Supreme Court Judges (Travelling vance) Rules, 1959 and any other rules made under the Act, or the High Court ges Act, 1954 (28 of 1954), High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956 any other rule made under the Act, as the case may be.

Salary of Member. – (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), every ber shall be paid a salary of eighty thousand rupees (fixed) per mensem.

Provided that in case of appointment of a person as a Member who has retired the service under the Central Government or a State Government or any local or authority owned or controlled by the Central Government or State Government e Supreme Court or a High Court, as the case may be, who is in receipt of, or has

received or has become entitled to received any retirement benefits by way of pension, gratuiry, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Member shall be reduced by the gross amount of pension or employers contributions to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent to gratuiry), drawn or to be drawn by him.

6. **Dearness Allowance and other Allowances.** – (1) The Chairperson who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court shall receive dearness allowance at the rate admissible to a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court, as the case may be as per orders issued by the concerned Courts from time to time.

(2) The Member shall receive dearness allowance and other allowances at the rates admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

7. **Leave.** – (1) The grant of leave to Chairperson and Members of the Appellate Tribunal shall be governed as under:-

(i) Chairperson: A serving Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court appointed as Chairperson shall continue to be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the provisions of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or, as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), and the rules made thereunder:

Provided that where a serving Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court appointed as Chairperson continues to be Chairperson after his retirement from service as a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court, he shall be governed in matter relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, from the date of his retirement as a Judge of the Supreme Court, as the case may be, of the Chief Justice of a High Court, for the remaining period

of his term of office. A person, not being a serving Judge of the Supreme Court or serving Chief Justice of a High Court, appointed as Chairperson shall be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(ii) Member: The Member shall be governed in the matters relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(2) The payment of leave salary to the persons appointed as Chairpersons after their retirement from the Supreme Court or the High Court and Members during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson and Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the Earned Leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit of 300 days.

8. Leave sanctioning authority. – In the case of the Chairperson, the Minister in charge of the Ministry of Corporate Affairs, and in the case of a Member, the Chairperson, shall be the leave sanctioning authority.

9. Pension. – The Chairperson and a Member shall have the option either to be governed by New Pension Scheme or annuitization or complete withdrawal of the corpus plus accretion.

10. Travelling Allowance. – When a serving Judge is appointed to the Appellate Tribunal as Chairperson he while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are applicable to Supreme Court Judge or Chief Justice of High Courts as per orders issued by the concerned Courts from time to time. The retired

Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of India appointed as the Chairperson and Members of Appellate Tribunal, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are applicable to Group 'A' Officers of the Central Government or State Government drawing an equivalent pay.

11. Leave Travel Concession.– The Chairperson and Members of Appellate Tribunal shall be entitled to Leave Travel Concession for self and family as admissible to re-employed pensioners and the entitlement will be that of the highest grade in the Central Government.

12. Facilities of Medical Treatment. – The Chairperson and Members of Appellate Tribunal shall, while in service be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Services Rules, 1954 and in places where Central Health Services Scheme is not in operation, the said Chairperson and Member shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

13. Transport. – The Chairperson shall be entitled for conveyance facilities as admissible to serving Judge of a Supreme Court or Chief Justice of a High Court as the case may be. A Member would be eligible for a fixed reimbursement for the use and maintenance of his personal car for transportation between residence and office as laid down by Department of Personnel and Training from time to time.

14. Accommodation.- The Chairperson and Members of the Appellate Authority shall be entitled for a House Rent Allowance at the rate of 30 per cent of the basic pay, if they stay in Delhi. No house would be hired by the Appellate Authority or allotted by the Government. Outside Delhi, Members and the Chairperson would be entitled to rented unfurnished accommodation as laid down by Department of Personnel and Training from time to time.

15. Official visits abroad. – (1) Official visits abroad by the Chairperson shall be undertaken with the prior approval of Minister-in-charge of the Ministry of Corporate Affairs and by the members with prior approval of the Chairperson, after clearance from the Ministry of External Affairs from political angle and from the Ministry of Home Affairs for acceptance of foreign hospitality, if any, under the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

(2) The daily allowance and provision of hotel accommodation during the period of tour abroad in case of Chairperson shall be regulated in accordance with his entitlement before joining the Appellate Tribunal and in case of Members shall be regulated in accordance with the Central Government instructions as applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

(3) Indian missions abroad shall take care of arrangements and extend facilities as admissible to the Chairperson and the Member.

(4) The instructions issued by Ministry of External Affairs and Ministry of Finance as amended from time to time will be applicable and shall be followed while undertaking visits abroad.

16. Applicability of rules. – When a serving Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court is appointed as the Chairperson, his terms and conditions of service shall be the same as were applicable to him prior to his appointment as the Chairperson:

Provided that in case of superannuation of Chairperson as Judge before the expiry of his term as Chairperson, his terms and conditions of service shall be the same as are applicable to a retired Judge of the Supreme Court or a retired Chief Justice of a High Court, as the case may be, under these rules, for remainder period of his term.

17. Oath of office and secrecy. – (1) Every person appointed as the Chairperson shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy before the Minister-in-charge of Ministry of Corporate Affairs, in Form I and Form II respectively annexed to these rules.

783 GI/09-4

(2) Every person appointed as a member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy before the Chairperson, in Form I and Form II respectively annexed to these rules.

18. Declaration of financial or other interest. – Every person, on his appointment as the Chairperson or Member, as the case may be, shall give a declaration in Form III annexed to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairperson or Member, as the case may be.

19. Residuary provisions. – Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Appellate Tribunal to the Central Government for its decision.

20. Powers to relax. – The Central Government shall have power to relax any provision of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. 5/36/2007-IGC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

FORM I

(See rule 17)

Form of oath of office for Chairperson or Members of the Competition Appellate Tribunal

"I, __________, **having been appointed as Chairperson or member of the Competition Appellate Tribunal**

do solemnly affirm

swear in the name of God

that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairperson or member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will."

(**Signature**)

Place: Name:

Date: Designation:

FORM II

(See rule 17)

Form of oath of secrecy for Chairperson or Members of the
Competition Appellate Tribunal

"I, ________, having been appointed as Chairperson or member of the Competition Appellate Tribunal

do solemnly affirm

swear in the name of God

that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson or member of the said Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as Chairperson or member."

(**Signature**)

Place: Name:

Date: Designation:

FORM – III

(See rule 18)

Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest

I, ________________, having been appointed as the Chairperson or Member (cross out portion not applicable) of the Competition Appellate Tribunal, do solemnly affirm and declare that I do not have, nor shall have in future any financial or other interest which is likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson or Member (cross out portion not applicable), of the Competition Appellate Tribunal.

(**Signature**)

Place: Name:

Date: Designation:

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.